न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. शेरा देवी पत्नी श्री पूरनराम जाति मेघवाल निवासी भागसर (11 ए.एस.) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर।

.....वादिया.....

बनाम-

1. मनीराम पुत्र श्री पूरणराम जाति मेघवाल निवासी भागसर (11 ए.एस.) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान
2. श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर जरिये राजस्थान सरकार
3. महेश्वरी देवी पत्नी श्री भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी 3 डी.डी.ए. तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर राजस्थान

.....प्रतिवादीगण.....

उपस्थित :- 1. श्री सुरेन्द्र भाटी वकील वादी
2. श्री साहिब बाघला वकील प्रतिवादीगण
3. पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 189, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 166/2011 **निर्णय दिनांक- 30/09/2019**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खाता से चक 11 ए. एस. (भागसर) तहसील श्री विजयनगर का खाता संख्या नया 87 पुराना 100 का मुरब्बा नं. 28 का पत्थर नं. 198/467 का किला नं. 10 ता 25 के 3.9460 है. भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज है। जिसमें जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा वा शेष भूमि वादिया एवं वादिया के दो पुत्र नीकूराम, बालूराम के नाम से दर्ज है। इस प्रकार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि में सहकाश्तकार/ सह खातेदार है। इसलिए वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 सह खातेदार होने की हैसियत से किला वाईज विभाजन करवाकर रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने के विधिक अधिकारी है। वादिया की उक्त भूमि उसके पति के देहान्त हो जाने के बाद उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है तथा उसे अपनी मानते हुए उक्त सारी भूमि में अनके सुधार करवाये है जिससे अच्छी फसल होने के कारण वादिया के परिवार का खर्चा उक्त भूमि से चल रहा है। तथा सुधार करने के कारण विवादित भूमि के बाजार भावो में वृद्धि हुई है। जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लालच आने लगा तथा प्रतिवादी संख्या 1 बिना विभाजन करवाये इस भूमि को बेचने की फिराक में है। वादिया का प्रतिवादी संख्या 1 सबसे बड़ा पुत्र है तथा नशे का आदी होने के कारण कुछ लोगों के साथ मिलकर उक्त कृषि भूमि को बेचने की फिराक में है। जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 1

लगातार.....2

30/09/19

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

वादिया को धमकी दे रहा है कि वह इस भूमि के खाता में दर्ज अपने हिस्सा का बेचान किसी अन्य व्यक्ति को करके तुम्हारे कब्जा काश्त भूमि पर काबिज हो जाउगा और तेरे को तुम्हारे कब्जा शुदा भूमि से जबरन बल पूर्वक विधि विरूद्ध तरीक से बेदखल कर दूंगा। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उसका कानूनी दायित्व है उसके हिस्सा में आई भूमि को पहले किला वाईज विभाजन करवाकर एवं विधिक बंटवारा होने के बाद ही अपना हिस्सा अन्तरित या बेचान करे। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार होकर लगातार उक्त भूमि को बेचने की धमकी दे रहा है। वादिया द्वारा अनके अवसरों पर प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिक बंटवारा कर किला वाईज अंकन करने व इसका अमलदरामद करवने हेतु तहसीलदार (राजस्व) के पास ब्यान देकर एवं सहयोग देने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगातार टाल मटोल करता रहा है तथा उक्त विवादित भूमि को बिना विधिक बंटवारा किये व किला वाईज विभाजन करवाये बिना जबरदस्ती कब्जा कर बेचने की फिराक में है। जबकि उक्त विवादित भूमि पर वादिया का लगातार कब्जा चला आ रहा है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने विधि विरूद्ध उक्त कृत्य में कामयाब हो जाता है तो वादिया को अपने हक व उसके दो छोटे पुत्रों के हक व हिस्सा भूमि व कब्जा काश्त की भूमि से महरूम होना पडेगा जिससे वादिया का ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एवं भारी असुविधा होगी। पक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमे बाजी एवं रंजिश बढेगी व खर्च बढेगा जिसके कारण समस्त प्रकार की असुविधा मुझ वादिया को ही होगी। वादिया उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सह काश्तकार है तथा बराबर शेयर टेनेन्ट होने के कारा विधिक बंटवारा करवाकर किला वाईज भूमि को बराबर हिस्से तक अमल दरामद रिकॉर्ड करवाने की विधिक अधिकारी है। आदि का वाद पेश कर निवेदन किया कि :-

यह कि वादिया को चक 11 ए.एस. का मु.नं. 28 का पत्थर नं. 198/467 का किला नं. 10 ता 25 में 3.9460 हैक्टेयर कृषि भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड के 1/4 हिस्सा का टेनेन्ट घोषित करते हुए अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का खाला, रास्ता व अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विधिवत् विभाजन करवकर विभाजन अनुसार भूमि का अंकन वादिया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश प्रदान करे। एवं प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की पारित की जावे कि विवादित भूमि चक 11 ए.एस. का मु.नं. 28 का पत्थर नं. 198/467 का किला नं. 10 ता 25 में 3.9460 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से को बिना विधिवत् विभाजन करवाये किला वाईज रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाये बिना किसी प्रकार अन्य किसी के बहकाव में आकर रहन, बैय या अन्तरित करने, इन्तकाल दर्ज करवाने एवं वादिया के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार मदाखलत बेजा करने, उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने से स्थाई रूप से बाज एवं ममनू रहे। आदि निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पैरोकार राज के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि

लगातार.........3

(R.A.S.)
अधिकारी

चक 11 ए.एस. का मु.नं. 28 का पत्थर नं. 198/467 का किला नं. 10 ता 25 में 3.9460 हैक्टेयर कृषि भूमि में अनवानी वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने के रोज से प्रतिवादी मनीराम का कोई हक व हिस्सा नहीं है बल्कि मनीराम द्वारा अपना हिस्सा 1/4 हिस्सा की भूमि का विक्रय अनवानी वाद के पूर्व ही दिनांक 01/08/2011 को ही मुझ प्रतिवादी को अन्तरित किया जा चुका था जिसकी पूर्ण जानकारी प्रारम्भ से ही वादिया को रही है फिर भी जानबूझकर गलत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है। मुझ प्रतिवादिया को उक्त भूमि में से जबरन बेदखल करनेके लिए एवं तंग परेशान करने के लिए यह अनवानी वाद पत्र झूठे तथ्यों पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अनवानी वाद पत्र जोत विभाजन का है एवं वाद ग्रस्त भूमि वादिया एवं नीकूराम, बालूराम व मुझ प्रतिवादिया क नाम से दर्ज है। जिसमें मनीराम प्रतिवादी का कोई हक वास्ता व सरोकार नहीं है फिर भी जानबूझकर समस्त तथ्यो को जानते हुए भी वादिया के द्वारा अदालत को गुमराह करते हुए संबन्धित पक्षकारान को वाद व प्रार्थना पत्र में पक्षकार/प्रतिवादी न बनाकर मनीराम के साथ दुर्भिसन्धि करते हुए गलत वाद प्रस्तुत किया है जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत एवं वाद पत्र में अन्तर्विष्ट किये जाने वाले आवश्यक तथ्यों/पक्षकारों के विपरीत होने के कारण से प्रथमतः ही काबिले खारिजी के है। स्वयं वादिया के द्वारा अपने वाद पत्र की मद संख्या 2 के वादग्रस्त भूमि में नीकूराम, बालूराम का भी हिस्सा होना माना है किन्तु फिर भी उन्हे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए वाद पत्र प्रथमतः ही काबिले निरस्ती के है। वादिया को प्रारम्भ से ही ज्ञान था कि मनीराम के द्वारा अपना उक्त भूमि में हिस्सा का बेचान वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही दिनांक 01/08/2011 को ही मुझ प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के विक्रय किया जा चुका है एवं मौका पर कब्जा भी हस्तान्तरण किया जा चुका है फिर भी मुझ प्रतिवादिया एवं उक्त भूमि में अन्य हिस्सेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए वाद पत्र प्रारम्भ से ही दूषित होने के कारण से काबिले खारिजी के है। चूंकि प्रतिवादी मनीराम के द्वारा अपना हिस्सा की भूमि का हस्तान्तरण रजिस्टर्ड दस्तावेज से वाद पत्र से पूर्व ही किया जा चुका है इसलिए जब तक उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाया जाता है तब तक अनवानी वाद पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिकथनों के आधार पर निम्न प्रकार से विवाधक बनाये गये।

1. आया वादिया वादग्रस्त भूमि का विधिक हकदार है और अपना हक विभाजित करवाकर अमल राजस्व रिकॉर्ड में करवाने का अधिकारी है?

   -वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि पर वादिया एवं प्रतिवादी बतौर पारिवारिक विभाजन के अनुसार काबिज काश्त है?

   -वादी

3. आया वादीया धारा 53, 88 आर.टी.ए. का अनुतोष पाने का अधिकारी है?

   -वादी

लगातार.........4

30/09/13

...वा (R.A.S.)
...ड अधिकारी
...विजयनगर

Scanned by CamScanner

4. आया प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि में सहकाश्तकार खातेदार है और अपने हिस्सानुसार हक पारित करवाने का अधिकारी है?

-प्रतिवादी

5. अनुतोष-

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि में वादिया का 1/4 हिस्सा घोषित करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अनवानी वाद पत्र पक्षकारों के कुसंयोजन एवं विधि विपरीत है। इसलिए दावा खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया और पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि वादिया एवं वादिया के तीन पुत्रों मनीराम, निक्कूराम एवं बालूराम को विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें प्रत्येक का 1/4 हिस्सा था। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना 1/4 हिस्सा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के प्रतिवादी संख्या 3 महेश्वरी देवी को किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। वतर्मान जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि वादिया, निक्कूराम, बालूराम एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। वादिया द्वारा अनवानी वाद विधिक विभाजन बाबत प्रस्तुत किया गया है। अतः तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार से है :-

तनकी सं 1

आया वादिया वादग्रस्त भूमि का विधिक हकदार है और अपना हक विभाजित करवाकर अमल राजस्व रिकॉर्ड में करवाने का अधिकारी है?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था। वादिया द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी का अवलोकन करने से यह सिद्ध होता है कि वादिया उक्त विवादित भूमि में सहखातेदार दर्ज है जिसमें वादिया का 1/4 हिस्सा मुश्तरका दर्ज रिकॉर्ड भूमि है। इसलिए वादिया विवादित भूमि का विभाजन करवाने की अधिकारी है।

अतः यह तनकी संख्या 1 वादिया के हक में कायम की जाती है।

तनकी सं 2

आया वादीया धारा 53, 88 आर.टी.ए. का अनुतोष पाने का अधिकारी है?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था। वादिया द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी का अवलोकन करने से यह सिद्ध होता है कि वादिया उक्त विवादित भूमि में सहखातेदार दर्ज है जिसमें वादिया का 1/4 हिस्सा मुश्तरका दर्ज रिकॉर्ड भूमि है। इसलिए वादिया विवादित भूमि का विभाजन करवाने की अधिकारी है।

अतः यह तनकी संख्या 2 वादिया के हक में कायम की जाती है।

तनकी सं 3

आया वादग्रस्त भूमि पर वादिया एवं प्रतिवादी बतौर पारिवारिक विभाजन के अनुसार काबिज काश्त है?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था। वादिया द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी का अवलोकन करने से यह तो सिद्ध होता है कि वादिया उक्त

लगातार.....5

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि में सहखातेदार दर्ज है लेकिन वादिया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादिया और प्रतिवादी पारिवारिक विभाजन के अनुसार किन्ही विशेष किलाजात पर काबिज काश्त है।

अतः यह तनकी संख्या 3 वादिया के खिलाफ कायम की जाती है।

तनकी सं 4

आया प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि में सहकाश्तकार खातेदार है और अपने हिस्सानुसार हक पारित करवाने का अधिकारी है?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 पर था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड नवीनतम जमाबन्दी का अवलोकन करने से यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादी उक्त विवादित भूमि में सहखातेदार दर्ज है और अनवानी वाद में आवश्यक पक्षकार भी है।

अतः यह तनकी संख्या 4 प्रतिवादी के हक में कायम की जाती है।

तनकी संख्या 5 :- अनुतोष

दोनों पक्ष अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।

इस प्रकार तनकी संख्या 01 व 02 बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी व तनकी संख्या 3 खिलाफ वादिया बहक प्रतिवादी व तनकी संख्या 4 बहक प्रतिवादी खिलाफ वादिया तय की जाती हैं।

विवेचन

उक्त बिन्दू की गई तनकी अनुसार यह पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में वाद ग्रस्त आराजी भूमि में निक्कूराम, बालूराम सहकाश्तकार व सह खातेदार दर्ज हैं जो कि आवश्यक पक्षकार है। अतः वाद पत्र में वादिया द्वारा पक्षकार नहीं बनाने के अभाव में बंटवारा किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः वादिया का वाद पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.09.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2019.11.11 13:08:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: